निर्णय ब इजलास डॉ॰ जोगाराम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

प्रकरण संख्या 310/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मानसरोवर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हिम्मत सिंह सिसोदिया पुत्र श्री भंवर सिंह सिसोदिया
2. श्रीमती रीमा कंवर पत्नी श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया।

निवासीः— एफ—58, फस्ट फ्लोर फ्लेट नं॰ 02,

ब्लाक एफ, मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड, रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :— बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय दिनांक 27-02-2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.05.2015 एवं
सिंह
को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी हिम्मत सिंह सिसोदिया पुत्र श्री भंवर
सिसोदिया के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर एफ—58 में स्थित फस्ट फ्लोर फ्लेट नं॰ 02, ब्लाक एफ,
मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड, रोड, जयपुर सुपर बिल्डअप क्षेत्रफल 1055.00 वर्गफिट को बन्धक
रख कर कुल 19,90,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा
प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के
अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.11.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी
किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation
and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा
14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने
हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय बैंक के सुयोग्य
अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.11.2018 को धारा 13 (2) का
रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ऋणी को व्यक्तिशः भी नोटिस
तामील कराया गया है। व्यक्तिशः तामील कराये गये नोटिस की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत
की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of
security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी हिम्मत सिंह सिसोदिया पुत्र श्री भंवर सिंह सिसोदिया के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर एफ–58 में स्थित फस्ट फ्लोर फ्लेट नं॰ 02, ब्लाक एफ, मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड, रोड, जयपुर सुपर बिल्डअप क्षेत्रफल 1055.00 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

5. आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जोगाराम)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)